राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)( )सामा./सान्याअवि/2018/ 15627 जयपुर, दिनांक : 27/02/18

विज्ञप्ति

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की आगामी जयन्ती दिनांक 14 अप्रैल 2018 के पावन अवसर पर निम्न पुरस्कारो के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क.सं	पुरस्कार	क्षेत्र	राशि
1	अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार	1. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2.जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण–पत्र। 3. संस्था/व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो। 4.सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उल्लेखनीय भूमिका/योगदान रहा हों। 5.संस्था/व्यक्ति द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।	1.00 लाख रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र
2	अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार	1.राजस्थान का मूल निवासी हो/संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो। 2.जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण–पत्र। 3.संस्था/महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसचित जातियों/जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो। 4.महिला उत्थान के क्षेत्रों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हों। 5.संस्था/महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य हो।	51,000 रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र
3	अम्बेडकर न्याय पुरस्कार	1.राजस्थान का मूल निवासी हो। 2.जिला कलक्टर एवं जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण–पत्र। 3. अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क/न्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव। 4.अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के लिये प्रचलित अधिनियमों/नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/नये अधिनियम/नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।	51,000 रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र

नोट : आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में निदेशालय साामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, जी 3/1 राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर के पते पर दिनांक 20.03.2018 तक डाक से अथवा व्यक्तिश जमा कराए जा सकते है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा। गत वर्षो मे पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आवेदन नही करे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www. sje. rajasthan. gov. in एंव जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष न0 0141–2226634 एवं 0141–2220194 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विभाग का Email sjerajasthan@yahoo.co.in है।

(डॉ समित शर्मा)
निदेशक

d:\desktop files\ambedkar jayanti.docx

अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

फोटो

(दिनांक 1.1.2018 तक पिछले 5 वर्षो से कार्यरत हो आवेदन करें।)

1 स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति का नाम ....

2 पिता का नाम..............................

3 जन्मतिथि ....

4. स्वयंसेवी संस्था/व्यक्ति का पता

स्थायी पता ....

पत्र व्यवहार का पता ....फोन न. ....

5. यदि संस्था है तो पंजीकरण संख्या .... दिनांक .... (पुष्टि हेतु सत्यापित प्रति संलग्न करें)

6. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिए संस्था/व्यक्ति द्वारा पिछले 5 वर्षो किये गये कार्यो का विवरण मय दस्तावेज ....

7. जिला कलक्टर द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रमाण पत्र ....

8. भारत सरकार/राज्य सरकार/ जिला कलक्टर द्वारा दिए गए सम्मान का विवरण (यदि कोई हो)

9. संस्था द्वारा विदेशी/ स्वदेशी अनुदान प्राप्त किये जाने का पिछले 5 वर्षो का वर्षवार विवरण............

10. संस्था के स्वयं के भवन का विवरण ....

11. संस्था/व्यक्ति के बैंक खातों का विवरण ....

आवेदक/संस्था के मुखिया का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय जिला कलक्टर ....

उपरोक्त ....संस्था/ व्यक्ति द्वारा दिये गये विवरण का सत्यापन करवा लिया गया है। संस्था/ व्यक्ति को अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार वर्ष 2018 .... दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
जिला कलक्टर

अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

फोटो

1 अधिवक्ता का नाम ....

2 पिता का नाम ....

3 आवेदक का पता

पत्र व्यवहार का पता ....

स्थायी पता .... फोन नं. ....

4 जन्मतिथि ....

5 शैक्षणिक योग्यता..................

6 बार काउंसिल का पंजीयन क्रमांक.............. दिनांक ....

7 दिनांक .... से पिछले 10 वर्षों के वकालात के दौरान निर्णित मुकदमों का विवरण

क्र. स.	न्यायालय का नाम	पैरवी किये गये प्रकरणों की संख्या		लाभान्वितों की संख्या	
		एस.सी	एस.टी	एस.सी	एस.टी
1	अधीनस्थ न्यायालय				
2	उच्च न्यायालय				
3	उच्चतम न्यायालय				

नोटः उक्त तालिका में अंकित निर्णीत प्रकरणों की पठनीय छाया प्रतियाँ।

8. जिला कलक्टर एवं जिला सेंशन न्यायाधीश द्वारा चरित्र एवं प्रतिष्ठा के क्षेत्र का प्रमाण पत्र।

9. अधिवक्ता द्वारा समाज सेवा हेतु किये गये अन्य कार्यो का विववण मय दस्तावेज ....

10. आरक्षित वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए किसी कानून विशेष में संशोधन करने अथवा नया कानून बनवाने में कोई योगदान दिया हो तो उसका विवरण ....

11. अन्य कोई विवरण ....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यलय...................... की टिप्पणी

श्री/ श्रीमती .... को अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार वर्ष 2018..... के लिए अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील

जिला कलक्टर/ जिला एवं सत्र न्यायाधीश

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।

अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

फोटो

1. महिला/ संस्था का नाम ....

2. पिता/ पति का नाम ....

3. जन्मतिथि ....

4. पता :

पत्र व्यवहार का पता : ....

स्थायी पता : .... फोन. न. ......

5. अगर संस्था है तो संस्था का पंजीयन संख्या .... दिनांक ....

6. महिला/संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षो में बाबा साहेब के सिद्धान्तों के अनुरूप किये गये उल्लेखनीय कार्यो का दस्तावेज सहित विवरण ....

7. महिला कल्याण के लिए किये गये कार्यो का विवरण ....

8. पूर्व में जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनका विवरण ....

आवेदक/संस्था के मुखिया का
नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय जिला कलक्टर ....

उपरोक्त संस्था/ महिला ....ग्राम/कस्बा................... तहसील................... जिला .... के सम्बंध में इनके द्वारा दिये गए विवरण का सत्यापन करवा लिया है। इनको अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार वर्ष 20..18 प्रदान किये जाने की सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर मय सील
जिला कलक्टर

नोट : आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों संलग्न करें।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3 / 1अम्बेडकर भवन राजमहल पेलेस के पास जयपुर

क्रमांक एफ. 1 (8)( )सामा. / सान्याअवि / 2018 15628 जयपुर, दिनांक : 27/02/18

सचिव
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
अजमेर।

विषयः–अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बोर्ड परीक्षा 2017 मे सर्वोच्च रहे विधार्थियो के नाम भिजवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं एवं 12वीं (तीनो संकायः कला,विज्ञान,वाणिज्य) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गो में पृथक–पृथक उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विधार्थियो को प्रति विधार्थी 51000 / – रूपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र दिये जाने का वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष इन वर्गो में शिक्षा के क्षेत्र के में जागृति लाने के उदेश्य से पुरस्कृत किये जाने का निर्णय लिया गया था। अतः अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल 2018 को वर्ष 2017 की बोर्ड परीक्षा 10 के लिए अनुसूचित जाति के 1, अनुसूचित जनजाति के–1, अर्थात 02 विधार्थियों के नाम मय घर के स्थायी पते व टेलीफोन / मोबाईल नम्बर के भिजवायें।

इसी प्रकार कक्षा 12वीं के प्रत्येक संकाय के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1–1 प्रति संकाय 1–1 अर्थात कुल 06 विधार्थियों जिन्होने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधार्थियो की सूची में उच्चतम अंक प्राप्त किये है, के नाम मय घर के स्थायी पते व टेलीफोन / मोबाईल नम्बर सहित सूचना संलग्न प्रारूप में भिजवाने का श्रम करावें ताकि उनको अम्बेडकर जयन्ती 14 अप्रैल 2018 पर आमन्त्रित कर पुरस्कृत किया जा सके।

कृपया इसे प्राथमिकता देने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ समित शर्मा)
निदेशक